प्रीलिम्स फैक्ट्स: 27 मई, 2019

drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-27-05-2019

- हिमयुग का समुद्री जल
- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति

हिमयुग का समुद्री जल

हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (University of Chicago) के शोधकर्त्ताओं ने हिंद महासागर के बीच एक रॉक फॉर्मेशन में हिमयुग के समुद्री जल का अवशेष खोजा है।

- शोधकर्त्ताओं ने यह खोज चूना पत्थर की छान-बीन करने हेतु शुरू किये गए एक वैज्ञानिक मिशन के दौरान की।
- इससे पहले वैज्ञानिकों को अप्रत्यक्ष सुरागों, जैसे- जीवाश्म कोरल और समुद्री तल के अवसादों के रासायनिक हस्ताक्षर से अंतिम हिमयुग के समुद्री जल का पुनर्निर्माण करना पड़ता था।
- वैज्ञानिक अंतिमहिम युग के पुनर्निर्माण में इसलिये रुचि रखते हैं क्योंकि इसके परिसंचरण, जलवायु और मौसम को बदलने वाले पैटर्न आज से बहुत अलग थे।
- पैटर्न को समझकर इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि भविष्य में पृथ्वी की जलवायु कैसी होगी।

भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(i) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मई, 2019 को श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75

- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा।
- सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक कार्य करेंगे।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में वर्णित कर्त्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
- सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता , स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि भी प्राप्त होती हैं। संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत इन वेतन भत्तों में

बदलाव किया जा सकता है।